भारत सरकार राज्य सभा

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय अतारांकित प्रश्न सं. 2293

वाणिज्य विभाग

दिनांक 07 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

वस्तुओं एवं सेवाओं का विवधीकरण

2293 श्री संजय कुमार झा:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2026-27 में वस्तुओं एवं सेवाओं के निर्यात में 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का लक्ष्य प्राप्त करने का एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया गया है जो नए बाजारों, संभारतंत्र सहायता, व्यापार सुगमीकरण तथा निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता पर ध्यान केंद्रित करने वाले सात सूत्रीय कार्य एजेंडा द्वारा समर्थित होगा;

(ख) क्या वैश्विक व्यापार में व्याप्त अनिश्चितताओं के बीच उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उभरते बाजारों में निर्यात का विस्तार करना तथा भारत के निर्यात में विविधता लाना महत्वपूर्ण होगा;

(ग) यदि हाँ, तो इस संबंध में मंत्रालय द्वारा कौन-कौन से क्षेत्र - विशिष्ट उपाय किए गए हैं; और

(घ) देश में संचालित ग्रीनफील्ड तथा ब्राउनफील्ड संयंत्रों सहित प्रमुख इस्पात परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है तथा तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)

(क)

1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात हासिल करना एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन केंद्र, राज्यों, निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी), उद्योग संघों और निर्यातकों के मिल-जुले प्रयासों से इसे प्राप्त किया जा सकता है। वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में, भारत ने अब तक का सबसे अधिक तिमाही निर्यात (पण्यवस्तु और सेवाओं को मिलाकर) दर्ज किया, जिसका मूल्य

236.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, इसमें वर्ष-दर-वर्ष 13.1% की बढ़ोतरी हुई है, जो देश के निर्यात क्षेत्र के लचीलेपन और प्रतिस्पर्धात्मकता को दर्शाता है। हालांकि, वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात लक्ष्य की प्राप्ति उभरते हुए वैश्विक आर्थिक और व्यापारिक माहौल पर भी निर्भर करेगी जिसमें अंतर्राष्ट्रीय मांग की स्थितियाँ, भू-राजनीतिक घटनाक्रम, आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान, वस्तुओं की कीमतों में उतार-चढ़ाव, विनिमय दर में उतार-चढ़ाव और अन्य बाहरी कारक शामिल हैं।

सरकार सात सूत्री कार्य एजेंडा के माध्यम से होल-ऑफ-गवर्नमेंट (समग्र सरकारी) दृष्टिकोण अपना रही है जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं (i) निर्यात समितियों और नियमित समीक्षाओं के माध्यम से निर्यात को उच्च प्राथमिकता वाला एजेंडा बनाना; (ii) भव्य औद्योगिक पार्क योजना में राज्यों की सक्रिय भागीदारी और भूमि एवं श्रम सुधारों को आगे बढ़ाना; (iii) गुणवत्ता और परीक्षण अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण; (iv) निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) के माध्यम से निर्यातकों, विशेष रूप से एमएसएमई को सहायता प्रदान करना; (v) संभार तंत्र में सुधार को बढ़ावा देना और व्यापार लागत को कम करना; (vi) बाजार विविधीकरण पहलों और व्यापार करारों के माध्यम से नए और उभरते बाजारों में भारत की उपस्थिति का विस्तार करना; और (vii) जिलों को निर्यात हब बनाने की पहल और 90-दिवसीय निर्यात अभियान के तहत जिला-स्तरीय निर्यात संवर्धन में तेजी लाना। इन उपायों का उद्देश्य निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना, बाजार तक पहुंच में सुधार करना और भारत के निर्यात इकोसिस्टम को मजबूत करना है।

(ख)

उभरते बाजारों में निर्यात का विस्तार करना और भारत के निर्यात बास्केट में विविधता लाना देश की निर्यात कार्यनीति के मुख्य आधार हैं। आज के वैश्विक व्यापार माहौल – जिसमें भू-राजनीतिक तनाव, टैरिफ उपायों और आपूर्ति श्रृंखला व्यवधान शामिल हैं - निर्यात गंतव्यों और उत्पाद श्रेणियों का दायरा बढ़ाना, मजबूती बनाए रखने और कुछ ही बाजारों पर निर्भरता कम करने के लिए बहुत जरूरी है। इस उद्देश्य के लिए, सरकार पारस्परिक रूप से लाभप्रद मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) के भारत के नेटवर्क का विस्तार करने, भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए अधिक बाजार पहुंच सुनिश्चित करने और नए और उभरते बाजारों में निर्यात में तेजी लाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रही है। साथ ही, वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं के साथ भारत के जुड़ाव को गहरा करने और घरेलू क्षमता बढ़ाने के प्रयास भी चल रहे हैं, जिससे निर्यात

प्रतिस्पर्धात्मकता बेहतर हो सके। सामूहिक रूप से, इन उपायों का उद्देश्य बाजार के नए अवसरों को खोलना, निरंतर निर्यात वृद्धि को बढ़ावा देना और वैश्विक व्यापार में भारत की स्थिति को मजबूत करना है।

(ग)

उभरते बाजारों में निर्यात बढ़ाने और भारत के निर्यात बास्केट में विविधता लाने के लिए, सरकार ने कई उपाय किए हैं: जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

1. निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम): सरकार ने निर्यातकों, विशेष रूप से एमएसएमई को अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन और अनुमोदन, एसपीएस और टीबीटी अनुपालन, उत्पाद परीक्षण, व्यापार वित्त, वेयरहाउसिंग, फ्रेट सपोर्ट, ब्रांडिंग, ट्रेड इंटेलिजेंस और बाजार पहुंच के लिए सहायता के माध्यम से समर्थन देने के लिए 25,060 करोड़ रुपये के निर्यात संवर्धन मिशन को मंजूरी दी है। यह मिशन निर्यात प्रोत्साहन और निर्यात दिशा के दो स्तंभों के माध्यम से संचालित होता है।

2. बाजार पहुंच विस्तार और व्यापार समझौते: सरकार मुक्त व्यापार समझौतों (एफटीए) और व्यापार संवर्धन पहलों के माध्यम से निर्यात के अवसरों का विस्तार कर रही है, साथ ही निर्यातकों को नए और कम सेवा वाले बाजारों का पता लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

3. गुणवत्ता अवसंरचना और मानकों का अनुपालन: अनुपालन लागत को कम करने, उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार करने और भारतीय निर्यातकों को अंतरराष्ट्रीय मानकों और बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम बनाने के लिए परीक्षण और प्रमाणन सुविधाओं की स्थापना और उन्नयन के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

4. डिजिटल व्यापार सुविधा और निर्यातक सहायता: सरकार ने ट्रेड ई कनेक्ट और ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स (टीआईए) पोर्टल जैसे एकीकृत प्लेटफार्मों के माध्यम से डिजिटल व्यापार सुविधा को मजबूत किया है, जो व्यापार जानकारी, बाजार अंतर्दृष्टि, द्विपक्षीय और कमोडिटी-स्तरीय व्यापार विश्लेषण, विनियामक मार्गदर्शन, निर्यातक सहायता सेवाएं और हितधारक समन्वय प्रदान करते हैं। ये पहल डेटा-संचालित नीति निर्माण को बढ़ावा देती हैं, व्यापार करने में आसानी में सुधार करती हैं, पारदर्शिता बढ़ाती

हैं और निर्यातकों को व्यापार इकोसिस्टम में समय पर सहायता प्राप्त करते हुए सही निर्णय लेने में सक्षम बनाती हैं।

5. जिलों को निर्यात हब (डीईएच) बनाने की पहल : डीईएच पहल के तहत, राज्य और जिला निर्यात संवर्धन समितियों द्वारा समर्थित जिलों में निर्यात-संभावित उत्पादों और सेवाओं की पहचान की गई है। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय उत्पादकों को वैश्विक बाजारों के साथ एकीकृत करके और जिला-स्तरीय निर्यात इकोसिस्टम को मजबूत करके पारंपरिक निर्यात केंद्रों से परे भारत के निर्यात आधार का विस्तार करना है।

6. निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता और लॉजिस्टिक्स सहायता: सरकार भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए निर्यात ऋण सुविधा, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग सहायता, निर्यात अवसंरचना के विकास, व्यापार सुविधा सुधारों और निर्यात-उन्मुख विनिर्माण पहल के माध्यम से निर्यातकों का सहायता करना जारी रखे हुए है।

(घ)

इस्पात एक डिरेग्युलेटेड क्षेत्र है और सरकार इस्पात क्षेत्र के विकास के लिए एक अनुकूल नीतिगत वातावरण बनाकर एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करती है। इस्पात संयंत्रों की स्थापना, डाउनस्ट्रीम उद्योगों, निवेश, क्षमता विस्तार आदि के संबंध में निर्णय अलग-अलग इस्पात कंपनियों के तकनीकी-वाणिज्यिक विश्लेषण पर आधारित होते हैं। राष्ट्रीय इस्पात नीति, 2017 में वर्ष 2030-31 तक 300 मिलियन टन (एमटी) कच्चे इस्पात निर्माण क्षमता और 255 मिलियन टन कच्चे इस्पात के उत्पादन की परिकल्पना की गई है। देश की कच्चे स्टील बनाने की क्षमता वर्ष 2021-22 में 154.06 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 220.41 मिलियन टन हो गई है। इसी अवधि में कच्चे इस्पात का उत्पादन 120.29 मिलियन टन से बढ़कर 170.15 मिलियन टन हो गया है।
